सेवा में,

थानाध्यक्ष महोदय
बिक्रमगंज थाना।

विषय – आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्राथमिकी
दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि मैं [illegible] चन्द्र रंजन, पे. श्री विश्वनाथ दास साकिन ग्राम - [illegible]पुर पो. - [illegible]पुर थाना - [illegible] जिला - पटना का निवासी हूँ। वर्तमान में अंचल अधिकारी, बिक्रमगंज के पद पर पदस्थापित हूँ तथा लोकसभा निर्वाचन 2019 में फ्लाइंग स्क्वैड टीम के प्रभारी हूँ। आज दिनांक 15.03.2019 को समय 16:45 को [illegible] पदाधिकारी श्रीमति प्रेम स्वरूपम के द्वारा अपने मोबाइल नं. 8709937576 से सूचना दी गई कि अंजबित सिंह कॉलेज के मैदान में एक सफेद रंग के टाटा मैजिक गाड़ी के द्वारा गाड़ी में लाउडस्पीकर बांधकर [illegible] का प्रचार कर रहा है। इस सूचना पर मैं पुलिस पदाधिकारी पु.अ.नि. विनीत कुमार के साथ सशस्त्र बल लेकर अंजबित सिंह कॉलेज मैदान पहुँचा तो देखा कि एक सफेद रंग का टाटा मैजिक गाड़ी जिसपर रजिस्ट्रेशन नं अंकित नहीं है जिसका चेसिस नं. MAT445064FUK32 969 एवं इंजन नं. KUY S 8785 अंकित है जिसका उपयोग [illegible] के अन्दर लाउडस्पीकर लगाकर [illegible] रहा था। गाड़ी चालक से पूछने पर उसने अपना नाम विमलेश राम पे. लखन राम पता - ग्राम कल्याणपुर थाना बिक्रमगंज जिला रोहतास बताया। गाड़ी प्रचार से संबंधित, लाउडस्पीकर से संबंधित कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। बिना वैध कागजात के लाउडस्पीकर से प्रचार करना आदि MCC लागू होने के कारण अनुमंडल पदा. के आदेश 262 दिनांक 10.03.19 के आलोक में [illegible] बिना अनुमति लाउडस्पीकर से प्रचार करना एक संज्ञेय अपराध है। साथी ① विमल कुमार पे. रघुवीर [illegible] गुप्ता [illegible]

Registered Bikramganj P.S. Case No. 133/19 dt 15/3/19 u/s 188 IPC & Sec. 9 Bihar Control of the use & Play of Loud Speaker Act [illegible]. A.S.I. [illegible] Paswan will investigate this case.
15/3/19

थाना प्रभारी के हस्ताक्षर

(F.I.R.No.)

*धारायें *(Sections)

*धारायें *(Sections)

*धारायें *(Sections)

Sections) Sec. 9 Bihar Co[illegible] Play of Loud

*तिथि से

(Date from)

*बजे से 16.45

(Time from)

समय

समय

समय

*लिखित/मौखिक

उत्तर पूर्व कोण

(8) पासपत्र सं0

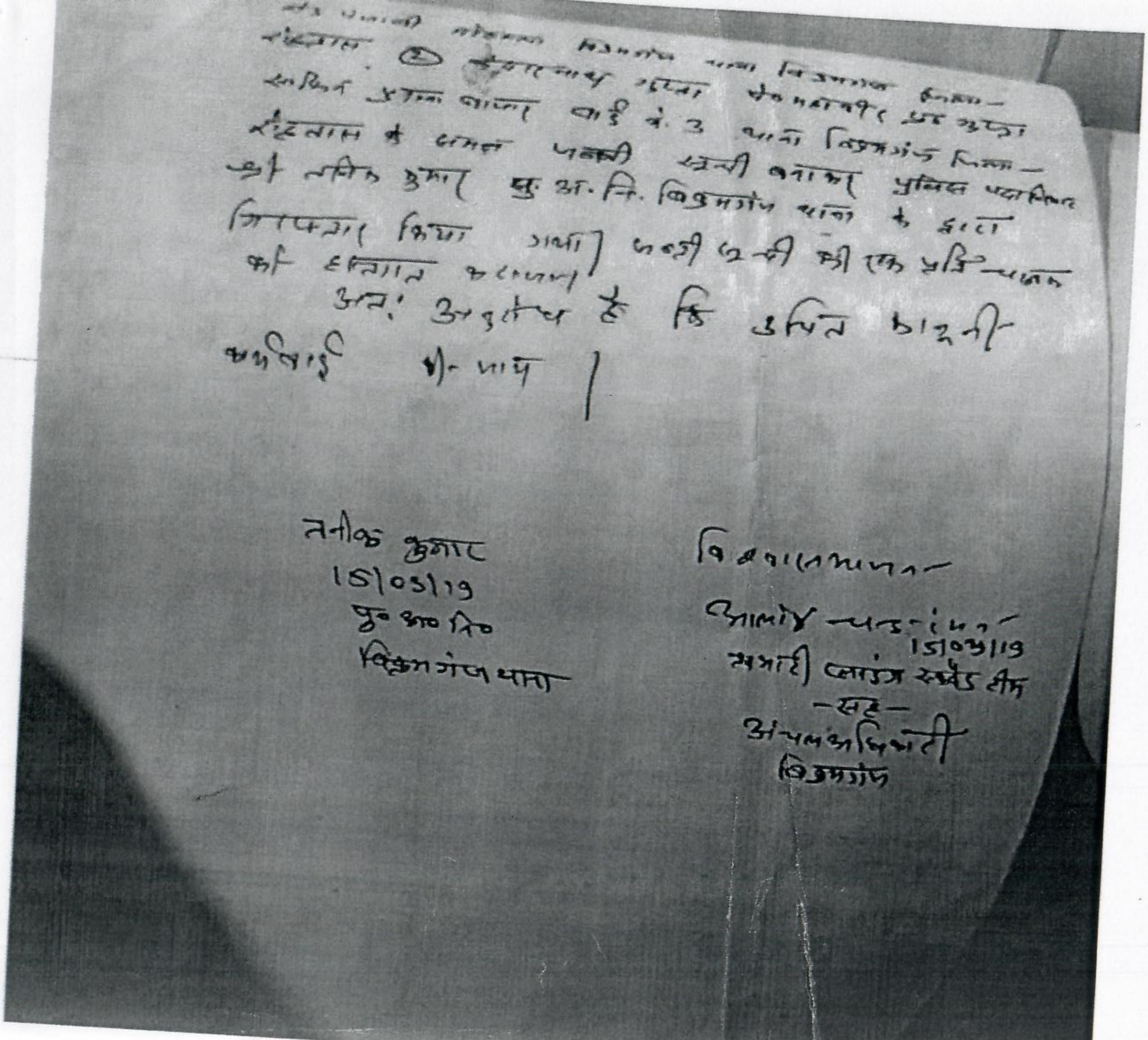

[illegible] पत्नी मोहल्ला [illegible] थाना विक्रमगंज जिला–
रोहतास ② कैलाशनाथ गुप्ता पे॰ महावीर प्र॰ गुप्ता
सकिन उत्तम वाला वार्ड नं. 3 थाना विक्रमगंज जिला–
रोहतास के समक्ष पकड़ी खैनी बनाकर पुलिस पदाधिकारी
श्री नवीन कुमार पु. अ. नि. विक्रमगंज थाना के द्वारा
गिरफ्तार किया गया। पकड़ी खैनी की एक प्रति चालान
की हस्तगत करवाया।
अतः अनुरोध है कि उचित कानूनी
कार्रवाई की जाय।

नवीन कुमार
15/03/19
पु॰ अ॰ नि॰
विक्रमगंज थाना

विश्वासभाजन–
आलोक चन्द्र
15/03/19
प्रभारी लाइंग स्क्वैड टीम
–सह–
अंचलाधिकारी
विक्रमगंज